न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 33 / 2022

1. इन्द्राज सिह पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. राम सिह पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. राजेश पुत्र दयानन्द, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. ओमप्रकाश पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. महावीर पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. रामकुमार पुत्र पूर्ण, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. विजय सिंह पुत्र पूर्ण, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, झुझुनू तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ विनियम आदेश दिंनाक 18.10. 2010 कार्यालय तहसीलदार झुंझुनूं बाबत खसरा नं0 963 व 984 वाके ग्राम उदावास ।

——

उपस्थित

1. श्री रवि कुमार, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.09.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 18.10.2010 बाबत खसरा नं0 963 व 984 वाके ग्राम उदावास के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। निवेदन है कि जमीन खसरा नं0 963 व 984 वाके ग्राम उदावास पटवार हल्का कुलोद कलां तहत तहसील झुंझुनूं में स्थित है। अदालत मातहत ने बिना किसी सक्षम आदेश के आलौच्य विनियम आदेश दिनांक 18.10.2010 पारित किया है जिसके विरूद्व मौजूदा अपील निम्न आधारों पर पेश है कि जमीन खसरा नं0 963 रकबा 0.30 हैक्टर के वर्तमान खसरा नं0 1183/963 रकबा 0.2684 हैक्टर खसरा नं0 1184/963 रकबा 0.0056 [illegible] खसरा नं0 1182/963 रकबा 0.0200 हैक्टर व खसरा नं0 984 रकबा 1.33 हैक्टर के वर्तमान खसरा नं0 [illegible] रकबा 1.10 हैक्टर व खसरा नं0 1082/984 रकबा 0.23 हैक्टर पडे जो राजस्व ग्राम उदावास तहसील व जिला झुंझुनूं में स्थित है। अपीलान्टस के हिस्से में जमीन खसरा नं0 672, 762 व 963 कुल किता 3 कुल रकबा 4.[illegible] हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसके अपीलान्ट्स काबिज काश्तकार [illegible] है तथा वर्तमान समय [illegible] खातेदार काश्तकार है। जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 में भूमि खसरा नं0 963 रकबा 0.30 हैक्टर के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट्स थे एवं जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट्स दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है लेकिन रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर दिनांक 18.10.2010 को एक विनियम आदेश के आधार पर खसरा नं0 963 की भूमि अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में 0.30 हैक्टर दर्ज करवा ली तथा अपीलान्ट्स के नाम अपने खसरा नं0 984 में से केवल 0.23 हैक्टर भूमि ही दर्ज करवाई। कानूनन विनियम आदेश में दोनों पक्षकारों की सहमति से बराबर बराबर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिये। इस प्रकार उपरोक्त विनियम आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है एवं निरस्त होने योग्य है। किसी भी भूमि का विनियम जब किया जाता है तो विनियम की जाने वाली भूमि का रकबा समान होना चाहिए। उपरोक्त विनियम आदेश के बाद एक दावा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2015 को पेश किया जो मुकदमा उनवानी रामकुमार बनाम विजयसिह वगैरह मु0नं0 218/2015 को दिनांक 19.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कुलोद कलां में निर्णित करते हुये निर्णय व डिक्री पारित कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री में भूमि खसरा नं0 963 को भी शामिल किया जाकर विभाजन कर दिया जो निर्णय व डिक्री अपीलान्टस के हक हकूकों के विपरित होने से अपीलान्टस प्रभावित है। चूंकि रेस्पोडेंट सं0 1 व 2 ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो दावा पेश किया उसमे तथ्यों को छिपाते हुये दावा पेश किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 एवं 2062 से 2065 की जमाबन्दी में भूमि खसरा नं0 963 विभाजन के पश्चात् खसरा नं0 963 के बट्टा नम्बर 1183/963, 1184/963 व 1182/963 कायम हुये। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने माननीय न्यायालय के समक्ष दावा उनवानी रामकुमार बनाम विजय सिहं वगैरह मु0नं0 218/2015 को अदालत हाजा को मुगालते में रखकर अपीलान्ट्स को पक्षकार नही बनाया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने पक्षकारों का कुसंयोजन कर निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने अपीलान्ट्स को उनके हक हकुकों से वंचित करते हुये दावा डिक्री करवाकर भूमि खसरा नं0 963 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि को अपने नाम निर्णय व डिक्री के आधार पर दर्ज करवा लिया। भूमि खसरा नं0 963 पर अपीलान्ट्स मौके पर काबिज काश्त है। दिनांक 10.05.2022 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने भूमि खसरा नं0 963 जिसके बट्टा नं0 1183/963, 1184/963 व 1182/963 पर कब्जा करने का प्रयास किया तथा उक्त भूमि पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर कब्जा कर तारबन्दी करना चाह रहे थे तथा कहा कि अब उपरोक्त जमीन काफी कीमती है हम तुम्हे इस जमीन से बेदखल करके ही दम लेंगें। इस कारण अपीलान्टस को अपने हकुको की रक्षार्थ यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आलौच्य विनियम आदेश दिनांकित 18.10.2010 को निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि तथा कथन किया कि अपील मेमो ही उसकी बहस मानी जावे। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आलौच्य विनियम आदेश दिनांकित 18.10.2010 को निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विनिमय सहमति से हुआ है। अपीलान्ट की अपील सुनवाई योग्य नही है। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश के 12 साल बाद पेश की है जो मियाद बाहर है। अपीलान्ट ने बार–बार विवादित भूमि पर ऋण लिया है अतः यह कहना गलत है कि प्रकरण [illegible] जानकारी मे नही था। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट [illegible] ने बहस [illegible] वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि वि[illegible] है। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश के 12 साल बाद पेश की है जो मियाद बाहर है। अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं ने विनिमय आदेश दिनांक 18.10.2010 बाद जांच विधिवत् रूप से पारित किया है। अपीलान्ट की यह अपील अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:06 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विनिमय सहमति से हुआ है। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश के 12 साल बाद पेश की है एवं अपीलान्ट ने बार–बार विवादित भूमि पर ऋण लिया है। अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि प्रकरण अपीलान्ट की जानकारी मे नही था। अदालत मातहत पारित विनियम आदेश दिंनाक 18.10.2010 आपसी सहमति से पारित किया गया है। आपसी सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्व अपीलान्ट की यह अपील उचित नही मानी जा सकती है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन व चलने योग्य नही है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारीज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर
झुंझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:06 IST
Reason: SelfAttested